

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-599 / 2012

संस्थित दिनांक-20.07.2012

फाई. क.234503000822012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

--- -- **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

हीरतलाल पिता बंसीलाल कस्तूरे, उम्र-34 साल,

निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।

- - - **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 19/03/2018 को घोषित)**

01- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 08.01.2012 को करीब 11:30 बजे ग्राम भंडेरी थाना क्षेत्र बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04.जे.ए.0513 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर पन्नालाल एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न कर आहत पन्नालाल को घोर उपहति कारित की।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता राजेन्द्र कुमार ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को वह ग्राम भण्डेरी चौक में पानटेला में खड़ा था, तभी उनके गांव का पन्ना जत्ता तरफ से सायकिल से आ रहा था, जिसे ट्रक क्रमांक सी.जी.04.जे.ए.0513 के चालक ने पीछे से आकर तेज रफ्तारपूर्वक टक्कर मार दिया, जिससे पन्नालाल गिर गया और उसे उनके द्वारा उठाकर किराये की गाड़ी से ईलाज हेतु बालाघाट भिजवाये थे। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 337 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत

आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान प्रार्थी पन्नालाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 08.01.2012 को करीब 11:30 बजे ग्राम भंडेरी थाना क्षेत्र बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 04जे.ए.0513 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर पन्नालाल एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01:-

05— साक्षी राजेन्द्र पंचतिलक अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। वह आहत पन्नालाल को पहचानता है। घटना दिनांक को आहत पन्नालाल के परिवार के लोगों के बताने पर कि पन्नालाल का एक्सीडेंट हो गया है, तब उसने जाकर देखा तो बाजार चौक में आहत पन्नालाल को हाथ में चोट थी। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, वह

वाहन घटनास्थल में करीब 50 फीट की दूरी पर था। वह वाहन ट्रक था। ट्रक का नंबर नहीं मालूम। उसने ट्रक के चालक को नहीं देखा। उसे नहीं मालूम कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

06— साक्षी राजेन्द्र पंचतिलक अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह भंडेरी में पान दुकान में खड़ा था, उसी समय मेंडकी तरफ से आ रहे ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चलाकर पन्नालाल को ठोस मारी थी, उसी समय उसने ट्रक को रोककर ट्रक के ड्रायवर का नाम पूछा तो उसने अपना नाम हिरतलाल बताया था, उक्त ट्रक का ड्रायवर न्यायालय में उपस्थित आरोपी था, उक्त ट्रक का नंबर सी.जी.04जे.ए.0513 था, उसने पुलिस को प्र.पी.01 का कथन दिया था तथा पुलिस ने उसकी निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसने नहीं देखा था तथा घटना की रिपोर्ट उसने बैहर थाने में नहीं की थी।

07— साक्षी गिरवर अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 08.01.2012 को वाहन क्रमांक सी.जी.04जे.ए.0513 के ट्रक चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पन्नालाल को टक्कर मारी थी, घटना उसके सामने हुई थी और वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान दर्ज नहीं किये थे।

08— साक्षी रंजीत अग्रवाल अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। ट्रक क्रमांक सी.जी.04जे.ए.0513 उसकी मालिकी का था एवं उक्त ट्रक का ड्रायवर हीरत था। आरोपी हीरत ने उसे बताया था कि उसके ट्रक को ग्राम भण्डेरी में एक सायकिल चालक पन्नालाल ने सायकिल से आकर ट्रक में पीछे की ओर टक्कर मार दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी हीरत ने ट्रक से सायकिल सवार को ट्रक से टक्कर मार दिया था, जिससे उसे चोट लगी थी, आरोपी उसका ड्रायवर है, इसलिये उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है।

09— महिपाल अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह ड्रायवरी का कार्य करता है। पुलिस थाना बैहर द्वारा ट्रक क्रमांक सी.जी.04जे.ए.0513 का परीक्षण उससे कराया था। उसने उक्त ट्रक के मैकेनिकल परीक्षण में पाया था कि उसका स्टेरिंग, ब्रेक, क्लच, इंडीकेटर, साईड ग्लास, टायर, ब्रेक लाईट सभी ठीक अवस्था में थे। उसने परीक्षण के उपरांत वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 तैयार की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस के बहुत से प्रकरणों में उसने बहुत से वाहनों का मुलाहिजा किया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र. पी.07 में उल्लेखित वाहन उसके समक्ष पुलिस ने नहीं लाया था तथा प्र.पी.07 की रिपोर्ट बगैर वाहन के परीक्षण किये पुलिस के कहने पर उसने तैयार की थी।

10— तीरथ अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह हाजिर अदालत में उपस्थित आरोपी हिरतलाल को जानता है। उसके सामने कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने

पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उसके सामने आरोपी हिरतलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 की कार्यवाही की थी, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि प्र.पी.06 में आरोपी हिरतलाल ने हस्ताक्षर किये थे। उसे याद नहीं है कि आरोपी हिरतलाल से ट्रक वाहन क्रमांक सी.जी.04जे.ए. 0513 मय कागजात के जप्त किया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि प्र.पी.05 पर आरोपी हिरतलाल ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

11— दिलीप अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह हाजिर अदालत में उपस्थित आरोपी हिरतलाल को जानता है। उसके सामने कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उसके सामने आरोपी हिरतलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 की कार्यवाही की थी, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि प्र.पी.06 में आरोपी हिरतलाल ने हस्ताक्षर किये थे। उसे याद नहीं है कि आरोपी हिरतलाल से ट्रक वाहन क्रमांक सी.जी.04जे.ए. 0513 मय कागजात के जप्त किया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि प्र.पी.05 पर आरोपी हिरतलाल ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

12— साक्षी डॉ० डी०के० राउत अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.02.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद

पर कार्यरत था। दिनांक 09.01.2012 को एक्स-रे टेक्नेशियन ए.के. सेन ने आहत पन्नालाल पिता सन्तु पंचतिलक निवासी भण्डेरी के दाहिने कोहनी के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 114 है। उसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिनी कोहनी की हड्डियों में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे रिपोर्ट प्रदश पी-03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 06.05.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 03/12 का अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को अग्रेषित किया जाकर माननीय न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता की राय हेतु प्रस्तुत किया गया था। उसके द्वारा दिनांक 18.06.2012 को घटनास्थल ग्राम भण्डेरी में दुर्घटना में क्षतिग्रस्त सायकिल का नुकसानी पंचनामा गवाह राजेन्द्र तथा गिरवर के समक्ष तैयार किया गया था, जिसमें 500/-रुपये की नुकसानी पाई गई थी। उक्त नुकसानी पंचनामा प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात सायकिल को आहत पन्नालाल को हिफाजतनामा पर दिया गया था। दिनांक 06.07.2012 को उसके द्वारा असिस्टेंट सर्जन जिला अस्पताल बालाघाट को आहत पन्नालाल की मुलाहिजा तथा एक्स-रे रिपोर्ट के संबंध में क्योरी रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया था, जिसके जवाब दिनांक 07.07.2012 में यह उल्लेखित किया गया था कि आहत को आई चोट गंभीर है। उक्त रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं।

14— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.05 के अनुसार श्री धनीराम थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, जिनके साथ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर से परिचित हैं। वर्तमान प्रकरण में श्री धनीराम भैरम द्वारा दिनांक

08.01.2012 को प्रार्थी राजेन्द्र कुमार की मौखिक शिकायत पर वाहन क्रमांक सी. जी.04जे.ए.0513 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/12 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.दं०सं० की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 पंजीबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक श्री धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रधान आरक्षक श्री भैरम द्वारा घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी राजेन्द्र कुमार तथा गवाह बंशीलाल एवं अन्य की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक श्री धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं।

15— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही प्रधान आरक्षक भैरम द्वारा फरियादी राजेन्द्र तथा गवाह गिरवर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त दिनांक को ही प्रधान आरक्षक श्री भैरम द्वारा घटनास्थल ग्राम भण्डेरी से आरोपी हिरतलाल से गवाह दिलीप तथा तिरथलाल के समक्ष ट्रक क्रमांक सी.जी.04जे.ए.0513 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक श्री भैरम के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर श्री भैरम के हस्ताक्षर हैं।

16— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-04 में घटना का दिनांक 08.01.2012 नियत है, तत्पश्चात करीब पांच माह पश्चात आहत पन्नालाल की सायकिल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा अपने मन से तैयार किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के करीब 06 माह पश्चात उसके द्वारा क्वेरी रिपोर्ट बुलाई गई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रकरण में आहत से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई है।

17— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में धनीराम भैरम द्वारा उसके समक्ष विवेचना नहीं की गई और वह केवल दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर को देखकर कार्यवाही के संबंध में कथन कर रहा है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि धनीराम भैरम द्वारा मौका-नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया गया था और गवाहों के समक्ष घटनास्थल से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी, धनीराम भैरम द्वारा गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक अपने मन से तैयार किया गया था, उन लोगों ने आहत से मिलकर प्रकरण में आरोपी को फंसाने हेतु झूठी विवेचना की थी।

18— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में आहत पन्नालाल को चोट आई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि आहत पन्नालाल ने विचारण के दौरान आरोपी से राजीनामा कर लिया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा आहत पन्नालाल की साक्ष्य भी नहीं कराई गई है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती।

19— “परिस्थितियों स्वयं प्रमाण है” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। मात्र पुलिस विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से

चालन किया गया हो, इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.L.J 583(Ori) अवलोकनीय है। अतः अभियुक्त हीरतलाल को भा0द0सं0 की धारा-279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.04जे.ए.0513 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

22— आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग)

स्थ. (अ)